

जिला सहकारी बैंक लि० बिजनौर

प्रधान कार्यालय, सिविल लाईन-11, बिजनौर-246701

पत्रांक सी-292/लेखा अनु०/निक्षेप ब्याज दरें/2024-25

दिनांक 28.11.2024

समस्त शाखा प्रबन्धक

जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर

विषय - जमा राशियों पर बैंक द्वारा दिये जाने वाली ब्याज दरों में संशोधन।

मुख्यालय के पत्रांक सी-300/लेखा अनु०/निक्षेप ब्याज दरें/2023-24 दिनांक 28.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा दिनांक 01.12.2023 से ब्याज दरें प्रभावी की गयी थी।

जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर की प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनांक 25.11.2024 के प्रस्ताव सं०-16 के द्वारा बैंक के निक्षेपों में अधिकाधिक वृद्धि करने के साथ-साथ जमा लागत को दृष्टिगत रखते हुये मुद्रा बाजार की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिस्पर्धी आधार पर निम्नानुसार ब्याज दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। ब्याज दरों में किया गया परिवर्तन दिनांक 05.12.2024 से जमा/नवीनीकृत होने वाले निक्षेपों पर प्रभावी होगा।

क्र.सं.	खाते के प्रकार	दिनांक 01.12.2023 से प्रभावी ब्याज दरें (प्रतिशत में)	दिनांक 05.12.2024 से प्रभावी ब्याज दरें (प्रतिशत में)
खण्ड-अ	बचत खाता	3.25	3.25
खण्ड-ब	सावधि जमा		
1.	15 दिन से 45 दिन तक	3.50	3.75
2.	46 दिन से 90 दिन तक	3.50	4.50
3.	91 दिन से 180 दिन तक	4.50	5.00
4.	181 दिन तथा उससे अधिक परन्तु एक वर्ष से कम	5.50	6.55
5.	1 वर्ष पर	7.25	7.50
6.	केवल 445 दिन के लिए	-	7.70
7.	15 माह से अधिक किन्तु 03 वर्ष से कम	7.45	7.50
8.	03 वर्ष व अधिक किन्तु 05 वर्ष तक	7.45	7.00
9.	05 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक	7.30	7.00

- वरिष्ठ नागरिकों को एक वर्ष या अधिक की मियादी जमा पर 0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज की सुविधा अनुमन्य होगी इस हेतु आयु का प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है।
- बैंक में कार्यरत स्टाफ/रिटायर्ड स्टाफ को एक प्रतिशत अधिक ब्याज की सुविधा अनुमन्य होगी परन्तु निक्षेप की गयी राशि उसकी स्वयं की है, का घोषणा पत्र लेना अनिवार्य होगा। साथ ही मुख्यालय के पत्रांक 6945-48/लेखा दिनांक 21.03.2012 के अनुक्रम में रिटायर्ड स्टाफ को वरिष्ठ नागरिक लाभ भी अनुमन्य होगा।
- आवर्ती जमा पर भी संशोधित ब्याज दरें समान रूप से लागू होगी।
- GL Code - 1031 (Sahkari Karmi FDR) के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं के वर्तमान में कार्यरत कर्मियों के लिए एक वर्ष एवं उससे अधिक अवधि की सावधि जमाओं पर अनुमन्य ब्याज दर से 0.50 प्रतिशत अधिक की ब्याज दर पूर्व की भाँति देय होगी।
- अरबन कोऑपरेटिव बैंक (जी.एल. सं०-1024), सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, (जीएल सं०-1023) एवं पैक्स (जीएल सं०-1022) के लिए बैंक मुख्यालय के पत्रांक- सी-291/लेखा अनु०/निक्षेप ब्याज दरें/2024-25 दिनांक 28.11.2024 निर्धारित ब्याज दरें एवं शर्त यथावत लागू रहेगी।

सचिव/मुख्यकार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- समस्त प्रभारी सहकारी निक्षेप केन्द्र, पैक्स जनपद-बिजनौर।
- प्रभारी/सह० प्रभारी डाटा सेन्टर, ब्याज दरों का अपडेशन कराने हेतु।
- समस्त उपमहाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर।
- सहायक आयुक्त/सहायक निबन्धक, सहकारिता, बिजनौर।
- उपायुक्त/उप निबन्धक, सहकारिता, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर को अवलोकलार्थ।

सचिव/मुख्यकार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर



जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर

प्रधान कार्यालय सिविल लाईन्स-2, बिजनौर-246801, उ०प्र०

पत्रांक-सी-291/लेखा अनु०/निक्षेप ब्याज दरें/2024-25

दिनांक- 28.11.2024

समस्त शाखा प्रबन्धक

जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर

विषय-सहकारी संस्थाओं के सावधि जमाओं पर दिनांक 01.12.2024 से प्रभावी ब्याज दरें।

मुख्यालय के पत्रांक सी-369/लेखा अनु०/निक्षेप ब्याज दरें/2023-24 दिनांक 20.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा दिनांक 20.02.2024 से ब्याज दरें प्रभावी की गयी थी।

जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनांक 25.11.2024 के प्रस्ताव संख्या- 16 में बैंक के निक्षेपों में अधिकाधिक वृद्धि करने के साथ-साथ जमा लागत को दृष्टिगत रखते हुये सहकारी संस्थाओं यथा अरबन को-आपरेटिव बैंक, सहकारी गन्ना विकास समितियों व बी-पैक्स पर निम्नानुसार ब्याज दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। ब्याज दरों में किया गया परिवर्तन दिनांक 05.12.2024 से जमा/नवीनीकृत होने वाले निक्षेपों पर प्रभावी होगा।

क्र०सं०	खाते के प्रकार	प्रभावी ब्याज दरें दिनांक 05.12.2024 से
1	अरबन कोआपरेटिव बैंक (जी०एल सं०-1024), सहकारी गन्ना विकास समिति लि०,(जी०एल सं०-1023) एवं पैक्स (जी०एल सं०-1022) के लिये 12 माह की सावधि जमा हेतु।	7.90 प्रतिशत

नियम एवं शर्तें:-

1. सावधि जमा की न्यूनतम धनराशि अंकन रू० 2500000.00 होगी।
2. सावधि जमा धनराशि का प्रीमियर (समय से पूर्व भुगतान) नियमानुसार अनुमन्य होगा।
3. निक्षेप संचय की सावधि जमा के विरुद्ध पूर्व शर्तों के अन्तर्गत ऋण सुविधा सुलभ होगी।
4. 12 माह की अवधि के अतिरिक्त उपरोक्त सहकारी संस्थाओं की सावधि जमाओं पर सामान्य ग्राहक की भाँति ब्याज दर देय होगी।

सचिव/मुख्यकार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. समस्त प्रभारी सहकारी निक्षेप केन्द्र, पैक्स जनपद-बिजनौर।
2. प्रभारी/सह० प्रभारी डाटा सेन्टर, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ ब्याज दरों को जी०एल सं०-1022 में पैक्स के लिए, जी०एल सं०-1023 में गन्ना समिति के लिए, एवं जी०एल सं०-1024 में अरबन कोआपरेटिव बैंक के लिए, अपडेशन कराने हेतु।
3. समस्त उपमहाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर।
4. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, जनपद-बिजनौर।
5. संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
6. माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर को अवलोकनार्थ।

सचिव/मुख्यकार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर